उप खण्ड अधिकारी बारी

4.4.22	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित है वकील वादी ने स्थगन वादी को नोटिस बाद आवश्यक तामील नहीं करवाकर प्रस्तुत के न्यायालय के उपस्थित है अत: वादी का वाद अदम हाजरी अदम पैरवी के खारिज की जाती है पत्रावली नतीजा सुनाए घोषित बाद तामील वकील के दाखिल दफ्तर हो Sd/-

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.29 13:08:36 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner